



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102023-249773
CG-DL-E-28102023-249773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4529]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2023/कार्तिक 5, 1945

No. 4529]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023/KARTIKA 5, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2023

सं. 41/2023

विषय: मांस और मांस उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

का.आ. 4717(अ).—केन्द्र सरकार, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या 03/2023 दिनांक 06 अप्रैल, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा हलाल प्रमाणीकरण निकायों की मान्यता के साथ-साथ निर्यात इकाइयों के पंजीकरण, दोनों के लिए अगले समय अवधि को छह महीने अर्थात् आगे 5 अप्रैल, 2024 तक बढ़ाती है।

2. अधिसूचना का प्रभाव:

हलाल प्रमाणन निकायों की मान्यता और निर्यात इकाइयों के पंजीकरण के लिए समय अवधि छह महीने अर्थात् 05 अप्रैल, 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है।

[फा. सं. 01/91/171/166/एम21/ईसी/ई-24267]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2023

No. 41 /2023**Subject: - Streamlining of Halal Certification Process for Meat and Meat Products.**

S.O. 4717(E).—The Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, in partial modification of Notification No. 03/2023 dated 6th April, 2023, hereby extends the time period, for both accreditation of Halal Certification Bodies as well as for registration of export units, for a further period of six months i.e., up to 5th April 2024.

2. Effect of this Notification:

Time period for accreditation of Halal Certification Bodies and registration of Export Units have been extended by a period of six months i.e., up to 5th April 2024.

[F. No. 01/91/171/166/AM21/EC /E- 24267]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

& Ex-Officio Addl. Secy.